सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 235/15 **निर्णय दिनांकः— 19.06.2019**

1. मु. हुरमत पत्नी रहीमखॉ जाति मुसलमान निवासी गुलामवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. रूधगर पत्नी आदगर जाति गुंसाई निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24—03—2001
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 24—03—2001 जिसके द्वारा मोहरबन्द श्रेणी हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सामान्य भूमिहीन श्रेणी में किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 1 में चक 15 बीएम के मुरब्बा नम्बर 68/26 में किला नम्बर 1, 8 ता 11, 22, 23 में 7 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 2 ता 5, 16, 17, 24, 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड कुल 15 बीघा भूमि मोहरबन्द गजट में प्रकाशित भूमि थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट को दिनांक 24—03—2001 को वादगत् भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर भूमिहीन किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित थी एसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन के तौर पर नहीं किया जा सकता था।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी।

अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुहरबन्द बोली द्वारा भूमि नीलामी हेतु प्राप्त उच्च क्रय प्रस्तावों का अनुमोदन निम्न शर्तो के अध्याधीन किया गया है कि प्रस्तावित रकबा मुहरबन्द नीलामी हेतु राजपत्र में अधिसूचित है, तथा प्रस्तावित रकबा विवादित एवं पूर्व में अन्य किसी को आवंटित नहीं हैं। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को तमाम शर्तो की पूर्ति किये जाने के फलस्वरूप ही वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। अपीलांट को किया गया आवंटन की पुष्टि हेतु आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को प्रेषित किये जाने पर आयुक्त द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1753 दिनांक 31—0372008 को क्रम संख्या 106 से अपीलांट के आवंटन की पुष्टि की गई है। चूंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को बतौर भूमिहीन श्रेणी

में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट को विनिमय में आवंटन की गई थी ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 15 बीएम के मुरब्बा नम्बर 68/26 में किला नम्बर 1, 8 ता 11, 22, 23 में 7 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 2 ता 5, 16 ता 17, 24 व 25 तादादी 8 बीघा अनकमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 68/18 के किला नम्बर 5 ता 7, 13 ता 19 तादादी 10 बीघा भूमि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक आवंटित की गई थी तथा अपीलांट आवंटन के समय से ही वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त किये बिना ही उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट को बतौर मोहरबन्द बोली में कर दिया गया। ऐसा आवंटन आवंटन नियमों व कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि का आंवटन मोहरबन्द बोली में रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया। जिसका कतई

अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाट का कथन है कि उसे दिनांक 03—06—2008 को विवादित भूमि विधिवत रूप से आवंटित की गई थी जिसके समर्थन में आवंटन आदेश की प्रति भी पेश की है। परन्तु आवंटन के पश्चात् पॉच साल तक कब्जा लेने तथा आवंटन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु किये गये प्रयासों के बारे में कुछ नहीं कहा है। दूसरी और यही रकबा सन् 2001 में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन किया जाकर अपीलांट को आवंटन से पूर्व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये आवंटन की जानकारी पॉच वर्ष तक नहीं होने का कथन विश्वसनीय नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब शमनीय नहीं है।

अपीलांट ने सीपीसी की धारा 96 के तहत दरखवाश्त पेश की है जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा आपत्ति पेश की तथा विवादित भूमि 2001 से ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन व कब्जे में होने के कारण अपीलांट का कोई वादकरण पैदा नहीं होने का तर्क दिया। राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण पूर्व में आवंटित भूमि को दुबारा गजट नोटिफिकेशन में शामिल करने तथा अपीलांट को दुबारा आवंटित करने के कारण अपीलांट के पक्ष मं वादकारण व अपील प्रस्तुत करने का आधार पैदा हुआ। अतः दरखवाश्त स्वीकार की जाती है।

विवादित भूमि अपीलांट को आवंटित होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट को आवंटित हो चुकी थी। जिसे दुबारा आवंटित किया जाना विधि सम्मत नहीं था। ऐसी भूमि पर पश्चातवर्ती आवंटी के पक्ष में अधिकारों का सृजन नहीं हो सकता तथा 15 साल पुराने आवंटन के पश्चातवर्ती आवंटन पर प्राथमिकता रहेगी। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से

अपीलांट को वित्तीय एवं मानसिक परेशानी हुई। अपीलांट चाहे तो इसके लिए विधि सम्मत कार्यवाही कर सकती है परन्तु पूर्व में हो चुके आवंटन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं रहा है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 24—03—2001 को किया गया आवंटन यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर